न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), महोबा

मूलवाद संख्या–27/2017

हरगोविन्द बनाम राजबहादुर

दिनांक–04.03.2017

निस्तारण प्रार्थना पत्र–6ग2

पत्रावली आज 6ग2 के निस्तारण हेतु पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रार्थना पत्र 6ग2 व आपत्ति 19ग2 पर सुना गया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 6ग2 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वादभूमि गाटा सं0 87ख रकवा 0.0280 हे0 एवं 88 रकवा 0.0490 हे0 ग्राम थलौरा पर0/तह0–कुलपहाड़ जिला महोबा में स्थित है जिसका कि वादी संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज एंव दखील है। वादभूमि वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात है जिसका विवरण मय नक्शा नजरी प्रार्थनापत्र के अन्त में प्रदर्शित किया जा रहा है जिसे अक्षर अ,ब,स,द,य,र बारंग लाल से प्रदर्शित किया जा रहा है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का हक एंव अधिकार प्राप्त है। वादभूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसपर वादी संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज एंव दखील रहते हुए शंतिपूर्ण ढंग से शाश्वत कृषि कार्य करता रहा है और वर्तमान में वादभूमि के 10X15 फीट पर एक टपरा बना है जिसमें वादी अपने जानवर बॉधता है। वादभूमि आबादी से लगी हुई कीमती भूमि है जिसपर वादी शांतिपूर्ण ढंग से शाश्वत उपयोग उपभोग एंव निस्तार करता चला आ रहा है। प्रतिवादी को वादभूमि से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी दबंग बाहुबली धनाढय एंव राजनैतिक पहुॅच वाले एवं बजोर लाठी जबरदस्ती अवैधानिक तरीके से वादभूमि पर कब्जा करके तथा नींव खोदकर निर्माण करने की फिराक में है यदि प्रतिवादी अपने कुत्सित इरादे में सफल हो गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसे किसी भी प्रकार के मुआवजे से पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र 19ग2 प्रस्तुत कर कथन किया है वादभूमि गाटा सं0 87 ख रकवा 0.0280 हे0 एवम् गाटा सं0 88 रकवा 0.0490 हे0 स्थित ग्राम थलौरा जमाना जमींदारी से मुझ आपत्तिकर्ता के पिता के कब्जे में रहा है तथा दौरान चकबन्दी प्रकियाओं उक्त वाद भूमि पर आबादी दर्ज हुयी। वादभूमि पर मुझ आपत्तिकर्ता का मकान जमाना जमींदारी से बना हुआ है कोई नया निर्माण नहीं किया जाना है। वादी तथा प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी की आपसी सहमति व पारिवारिक विभाजन व व्यवस्थापन के तहत ही मुझ प्रतिवादी का मकान वादी की वादभूमि पर बना हुआ है। वादभूमि के किसी भी

हिस्से पर वादी का कब्जा नहीं रहा है और न आज है तथा वादभूमि पर कभी कोई कृषि कार्य नहीं हुआ। बन्दोबस्ती नक्शे में वादभूमि पर आबादी दर्शित है। वादभूमि पर वादी का कोई टपरा 10X15 फीट पर नहीं बना है न कोई निस्तार व उपभोग किया जाता है। वादी की नियत में पारिवारिक बटवारा व व्यवस्थापन के प्रति फितूर पैदा हो गया जिस कारण वाद दाखिल किया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 6ग2 के निस्तारण में न्यायालय को तीन चीजें देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्ट्या वाद
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णीय क्षति

संक्षेप में वादी का कथन है कि विवादित स्थल गाटा सं0 87ख रकवा 0.0280 हे0 एवं 88 रकवा 0.0490 हे0 वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है प्रतिवादी विवादित स्थल पर कब्जा व निर्माण करना चाहते है इस कारण वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध वाद दाखिल किया है। इस वाद के बावत् आपत्ति कागज सं0 19ग1 में प्रतिवादी ने कथन किया है कि वादी एंव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी उनको पारिवारिक विभाजन में उनके पिता से प्राप्त हुयी है तथा उसी विभाजन के तहत प्रतिवादी के मकान वादी की वादभूमि पर बने हुये है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र 6ग एवं उसकी आपत्ति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मिनजुमला नम्बर है। विवादित सम्पत्ति वादी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है परन्तु प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि उपरोकत भूमि उसे पारिवारिक विभाजन द्वारा प्राप्त हुयी है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है जिसे उभयपक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि दोनेा के पूर्वज एक ही थे। प्रपत्रों के आधार पर प्रश्नगत भूमि का वादी अपना दर्शित कर रहा है तथा पारिवारिक विभाजन के आधार पर प्रतिवादी उसे अपना होना बताता है। ऐसी स्थिति में पक्षकार में मध्य स्वतः का निर्धारण होना विवादित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति वादी एंव प्रतिवादी अपना–अपना बता रहे है। ऐसी स्थिति में जब कि यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित सम्पत्ति किसकी है न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह निस्तारित होने तक कि विवादित सम्पत्ति किसकी है विवादित स्थल को संरक्षित रखें। माननीय उच्च न्यायालय में अपनी विधि व्यावस्था उ0प्र0 राज्य पावर कारपोरेशन लखनऊ बनाम जाकिर हुसैन 2005 इलाहाबाद विधि पत्रिका 764 में यह अवधारित किया है कि ''जहॉ पर हक का विवाद हो वहॉ पर न्यायालय का कर्तव्य हक का निस्तारण होने तक जो की साक्ष्य के उपरान्त निश्चित किया जा सकता है विवादित स्थल पर यथा

स्थिति कायम रखी जाये।'' इसके साथ ही उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति है कि विवादित स्थल की यथास्थिति का आदेश दिया जायें तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त के आधार पर जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित सम्पत्ति का मालिक कौन है न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विवादित सम्पत्ति को संरक्षित रखने हेतु यथा स्थित कायम रखने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित स्थल पर वाद के गुण–दोष के आधार पर निस्तारित होने तक यथा स्थिति बनाये रखें। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 6ग निस्तारित।

पत्रावली दिनांक 20.03.2017 को डब्लू0एस0 हेतु पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
कुलपहाड़,महोबा।